Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Vol. 3, No. 5, May - June 2026

बिहार राज्य के कुछ जिलों में पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन

सुलेखा कुमारी[1] & डॉ. महफूज़ आलम[2]

[1]शोधार्थी, विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
[2]सहायक प्राध्यापक, विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांश

भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का पुनर्गठन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के माध्यम से किया गया। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बिहार के चयनित जिलों में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना, कार्यप्रणाली, जनभागीदारी, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका का विश्लेषण करना है। अध्ययन में भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर तथा मधुबनी जिलों को उदाहरणस्वरूप सम्मिलित किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण विकास एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया है, किंतु वित्तीय निर्भरता, प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा क्षमता निर्माण की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

मुख्य शब्द: पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, बिहार, ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।

1. प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ लोकतंत्र की सफलता केवल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की संस्थाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि स्थानीय स्तर पर जनता की सक्रिय सहभागिता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन की इस अवधारणा को पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से साकार किया गया है। पंचायती राज संस्थाएँ लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा ग्रामीण जनता को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागी बनाने का कार्य करती हैं (सिंह, 2024).

पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक आधार भारतीय ग्राम समुदायों में निहित है। प्राचीन काल से ही ग्राम पंचायतें स्थानीय विवादों के समाधान तथा सामुदायिक विकास के लिए कार्य करती रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके परिणामस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई (मेहता,1957)।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की तथा संविधान के भाग-IX में पंचायतों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद की त्रिस्तरीय संरचना को अनिवार्य किया गया (भारत सरकार, 1993)।

बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया। इस अधिनियम ने पंचायतों को अधिक अधिकार, दायित्व तथा प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की। वर्तमान में बिहार में हजारों ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियाँ तथा जिला परिषदें कार्यरत हैं, जो ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। (Evidyarthi, 2026)

2. अध्ययन के उद्देश्य

1. बिहार राज्य के चयनित जिलों में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना का अध्ययन करना।
2. पंचायतों की कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक दक्षता का मूल्यांकन करना।
3. ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करना।
4. महिला एवं वंचित वर्गों की भागीदारी का अध्ययन करना।
5. पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियों एवं संभावनाओं का परीक्षण करना।

3. शोध पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन हेतु द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें पुस्तकें, शोध-पत्र, सरकारी रिपोर्टें, पंचायती राज मंत्रालय के दस्तावेज तथा बिहार सरकार के अभिलेख सम्मिलित हैं।

अध्ययन के लिए बिहार के पाँच जिलों—भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर तथा मधुबनी—का चयन किया गया है। इन जिलों का चयन भौगोलिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक विविधता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

4. बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप

बिहार में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक सुदृढ़ प्रणाली के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ग्रामीण जनता की निर्णय-निर्माण

प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना तथा स्थानीय स्तर पर विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने के पश्चात बिहार में भी पंचायतों को अधिक अधिकार एवं दायित्व प्रदान किए गए। बिहार में प्रारंभिक रूप से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 लागू किया गया, जिसे बाद में अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 राज्य में पंचायतों के गठन, चुनाव, अधिकार, वित्तीय प्रबंधन, आरक्षण तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली को विनियमित करता है। यह अधिनियम पंचायतों को ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई के रूप में स्थापित करता है तथा उन्हें स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है।

4.1. त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना

बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती है। यह संरचना स्थानीय आवश्यकताओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप शासन व्यवस्था को संचालित करने में सहायक होती है।

4.2. ग्राम सभा और ग्राम पंचायत

ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा स्थानीय लोकतंत्र का प्रत्यक्ष स्वरूप है, जहाँ विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श, लाभार्थियों का चयन, सामाजिक अंकेक्षण तथा पंचायत की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायत ग्राम स्तर की निर्वाचित संस्था है जिसका नेतृत्व मुखिया करता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों में ग्रामीण सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। ग्राम पंचायत स्थानीय समस्याओं के समाधान तथा ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी होती है (सिंह, 2022)।

4.3. पंचायत समिति

पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर कार्य करने वाली मध्यवर्ती संस्था है। यह ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के मध्य समन्वय स्थापित करती है। पंचायत समिति का गठन निर्वाचित सदस्यों से होता है तथा इसका नेतृत्व प्रमुख द्वारा किया जाता है।

पंचायत समिति कृषि विकास, सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के समन्वय तथा निगरानी का कार्य करती है। यह ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं को

जिला स्तर तक पहुँचाने तथा विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराओं में पंचायत समिति की शक्तियों एवं दायित्वों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

4.4. जिला परिषद

जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है। इसका गठन जिला स्तर पर किया जाता है तथा इसका नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य जिले की समग्र विकास योजनाओं का निर्माण, विभिन्न पंचायत समितियों के कार्यों का समन्वय, संसाधनों का वितरण तथा विकास कार्यक्रमों की निगरानी करना है।

जिला परिषद कृषि, ग्रामीण सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए नीतिगत दिशा प्रदान करती है। यह राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है (कुमार & प्रसाद, 2021)।

4.5. आरक्षण व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय

बिहार पंचायती राज व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता सामाजिक न्याय एवं समावेशिता है। बिहार उन राज्यों में अग्रणी रहा है जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया (सुप्रिया, 2024)। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था ने राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया तथा स्थानीय शासन में वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की है।

महिला आरक्षण के परिणामस्वरूप बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएँ मुखिया, प्रमुख तथा जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई हैं। इससे ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व का विकास हुआ है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित मुद्दों को अधिक प्राथमिकता मिलने लगी है (झा, 2020).

4.6. वित्तीय एवं प्रशासनिक संरचना

पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। पंचायतों की आय के स्रोतों में स्थानीय कर, शुल्क, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर प्राप्त राशि तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली निधियाँ शामिल हैं (ऊमेन, 2018) ।

हाल के वर्षों में पंचायतों में डिजिटल प्रशासन, ऑनलाइन लेखांकन, ई-गवर्नेंस तथा ई-ग्राम स्वराज जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया गया है, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि हुई है। पंचायतों के व्यय एवं विकास योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे सामाजिक अंकेक्षण को भी बल मिला है।

4.7. बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की वर्तमान स्थिति

वर्तमान समय में बिहार में हजारों ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियाँ एवं जिला परिषदें कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने जैसी पहलें भी की जा रही हैं, जिससे स्थानीय शासन की दक्षता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिल रहा है। पंचायतों को ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, जल-जीवन-हरियाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है (शहाब & उद्दीन, 2024) ।

इस प्रकार बिहार की पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सामाजिक न्याय, जनभागीदारी तथा ग्रामीण विकास के सिद्धांतों पर आधारित एक सशक्त स्थानीय शासन प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। यद्यपि वित्तीय स्वायत्तता, प्रशासनिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, फिर भी यह व्यवस्था ग्रामीण विकास और लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है

5. चयनित जिलों में पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन

बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक विशेषताओं वाले जिलों का अध्ययन आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन में भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर तथा मधुबनी जिलों का चयन किया गया है। इन जिलों की पंचायतों के कार्यों, जनभागीदारी, महिला नेतृत्व, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तथा स्थानीय प्रशासनिक दक्षता का विश्लेषण किया गया है।

5.1. भागलपुर जिला

भागलपुर जिला बिहार के पूर्वी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ कृषि, मत्स्य पालन तथा लघु उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण अवसंरचना विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा तथा स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अध्ययन से ज्ञात होता है कि भागलपुर जिले की अधिकांश ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था तथा सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय समस्याओं की पहचान एवं समाधान की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। कई पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों ने विद्यालयों की स्थिति सुधारने, आंगनवाड़ी सेवाओं की निगरानी तथा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया है (रंजन, 2025).

हालाँकि कुछ पंचायतों में वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी कर्मचारियों का अभाव तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब जैसी समस्याएँ भी देखी गई हैं। इसके बावजूद भागलपुर की पंचायतें ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

5.2. पटना जिला

पटना बिहार की राजधानी होने के साथ-साथ प्रशासनिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। यद्यपि जिले का एक बड़ा भाग शहरी क्षेत्र में आता है, फिर भी इसके ग्रामीण प्रखंडों में पंचायती राज संस्थाएँ सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।

पटना जिले की पंचायतों में ई-गवर्नेंस, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन तथा ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग देखा गया है। पंचायत प्रतिनिधियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता प्रदान की गई है। पंचायत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जल-जीवन-हरियाली अभियान तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन किया गया है (बिहार सरकार, 2024) ।

अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि पटना जिले में पंचायतों एवं जिला प्रशासन के मध्य बेहतर समन्वय पाया जाता है, जिसके कारण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी है (भारत सरकार, 2024)। इसके अतिरिक्त ग्राम सभाओं में नागरिकों की भागीदारी भी अन्य जिलों की तुलना में अधिक पाई गई है।

5.3. गया जिला

गया जिला सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से बिहार के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण रोजगार, जल संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

गया जिले की पंचायतों ने मनरेगा के माध्यम से तालाब निर्माण, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण तथा जल संरक्षण से संबंधित अनेक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित किया है। विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा जल प्रबंधन योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि भी पंचायतों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण जनता तक पहुँचाने में सुधार हुआ है। तथापि कुछ क्षेत्रों में शिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण ग्राम सभाओं की सक्रियता अपेक्षाकृत कम पाई गई है (मैथ्यु, 2017).

5.4. मुजफ्फरपुर जिला

मुजफ्फरपुर जिला कृषि एवं बागवानी, विशेषकर लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पंचायतों ने कृषि विकास, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा किसान समूहों के गठन में सक्रिय भूमिका निभाई है।

पंचायतों द्वारा स्वयं सहायता समूह एवं जीविका कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। पंचायत प्रतिनिधियों ने कृषि आधारित रोजगार

सृजन तथा ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया है।

अध्ययन से ज्ञात होता है कि पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों की सक्रियता के कारण स्वच्छता, पोषण तथा महिला स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय निर्माण, पेयजल आपूर्ति तथा विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है (कुमार & प्रसाद, 2021).

5.5. मधुबनी जिला

मधुबनी जिला अपनी सांस्कृतिक पहचान एवं ग्रामीण सामाजिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है। बिहार में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण नीति के सकारात्मक प्रभाव मधुबनी जिले में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

महिला मुखियाओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई है। कई पंचायतों में महिला नेतृत्व के कारण बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

ग्राम सभाओं की नियमित बैठकों तथा सामुदायिक भागीदारी के कारण पंचायत स्तर पर पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है। मधुबनी जिले में पंचायतों द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण, पेयजल योजनाओं तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है (शुक्ला, 2026).

5.6. तुलनात्मक विश्लेषण

चयनित जिलों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर रही हैं। पटना जिले में प्रशासनिक दक्षता एवं डिजिटल शासन अधिक विकसित है, जबकि मुजफ्फरपुर में कृषि एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिला है। भागलपुर एवं गया जिलों में आधारभूत संरचना विकास तथा रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जबकि मधुबनी जिले में महिला नेतृत्व एवं सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं।

हालाँकि सभी जिलों में कुछ सामान्य चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जैसे—

- वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता।
- पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का अभाव।
- तकनीकी एवं प्रशासनिक विशेषज्ञता की कमी।

- योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब।
- कुछ क्षेत्रों में ग्राम सभा की निष्क्रियता।
- महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर पारिवारिक हस्तक्षेप (प्रॉक्सी नेतृत्व) की समस्या।

इसके बावजूद पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद पंचायतों में उनकी भागीदारी और नेतृत्व क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। (शुक्ला, 2026)

6. निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने, जनभागीदारी बढ़ाने तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चयनित जिलों में पंचायतों द्वारा स्थानीय समस्याओं के समाधान, आधारभूत संरचना विकास तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। यद्यपि वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा तकनीकी दक्षता का अभाव अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं, फिर भी पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण विकास की दिशा में प्रभावी माध्यम सिद्ध हुई हैं।

संदर्भ (References)

1. ई-विद्यार्थी। (2026)। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था: प्रांतीय प्रशासन एवं स्थानीय शासन व्यवस्था। बिहार अध्ययन सामग्री प्रकाशन।
2. ऊमेन, एम. ए. (2018)। भारत में स्थानीय शासन एवं विकेंद्रीकरण। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स।
3. कुमार, आर. आर. (2020)। भारतीय लोकतंत्र में उपस्थिति की राजनीति का समर्थन: पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण का एक अध्ययन। राजीव गांधी विश्वविद्यालय शोध पत्र श्रृंखला।
4. कुमार, ए., एवं प्रसाद, एस. (2021)। बिहार में विकेंद्रीकृत शासन एवं ग्रामीण विकास। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 67(3), 412–428।
5. झा, आर. (2020)। बिहार की पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व। पटना: बिहार लोक प्रशासन संस्थान।
6. पंचायती राज मंत्रालय। (2024)। राज्य पंचायती राज अधिनियम एवं नियम। नई दिल्ली: भारत सरकार।
7. पंचायती राज मंत्रालय। (2024)। वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24। नई दिल्ली: भारत सरकार।
8. बिहार सरकार। (2024)। पंचायती राज विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन। पटना: बिहार सरकार।

9. बिहार सरकार। (2024)। पंचायती राज विभाग की वार्षिक रिपोर्ट। पटना: बिहार सरकार।

10. भारत सरकार। (1993)। संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992। नई दिल्ली: भारत सरकार।

11. मेहता, बी. आर. (1957)। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट। नई दिल्ली: भारत सरकार।

12. मैथ्यू, जी. (2017)। भारत में पंचायती राज की स्थिति। नई दिल्ली: सामाजिक विज्ञान संस्थान।

13. रंजन, ए. (2025)। पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण सशक्तिकरणः भागलपुर जिला के संदर्भ में। एडवांस्ड इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च, 5(2), 45–58।

14. शहाब उद्दीन, एम., एवं अंसारी, आई. यू. ए. (2024)। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य। जर्नल ऑफ एडवांसेज़ एंड स्कॉलर्ली रिसर्चेज इन एलाइड एजुकेशन, 21(4), 23–34।

15. शुक्ला, ए. (2026)। बिहार के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। वर्ल्ड व्यू रिसर्च बुलेटिन, 1 (विशेषांक), 1–12।

16. सिंह, आर. (2022)। बिहार में पंचायती राज एवं ग्रामीण शासन। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 41(2), 145–162।

17. सिंह, आर. (2024)। बिहार में स्थानीय शासन एवं पंचायती राज संस्थाएँ। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स।

18. सुप्रिया, एस. (2024)। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के परिणाम। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 6(3), 1–15।